साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 03 मई 2021, वर्ष-7, अंक-05

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

खेती पर भी महंगाई की मार 500 रुपए बढ़े डीएपी के दाम

■ 1200 की बोरी अब 1700 रुपए में मिलेगी ■ मप्र राज्य विपणन संघ ने जारी नई रेट लिस्ट

संवाददाता, भोपाल

डीजल-पेट्रोल के बाद अब खाद भी महंगी हो गई। डीएपी खाद के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में विपणन संघ ने सर्कुलर जारी कर नई रेट लिस्ट जारी की है। 1200 रुपए प्रति बोरी बिकने वाली डीएपी अब 1700 रुपए की हो गई है। किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए ज्यादा चुकाना होगा। संक्रमण काल में किसानों पर यह दोहरी मार होगी। मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ ने हाल ही में नई रेट लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट अनुसार डीएपी के खाद के दाम प्रति बोरी (50 किग्रा) 1700 रुपए हो गए हैं। खाद की बिक्री दरों का निर्धारण खरीफ 2021 के लिए उर्वरक समन्वयक समिति की बैठक में लिया गया। यह बैठक 25 मार्च को हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में एक पत्र विपणन संघ एवं जिला सहकारी बैंकों के जिलाधिकारियों को जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है की जिन सहकारी समितियों के पास पूर्व भंडारित डीएपी खाद का स्टॉक है वह पूर्व की दरों यानि 1200 प्रति बोरी में ही बिकेगा। यह दरें आगामी खरीफ सीजन के लिए निर्धारित की गई है। नया स्टॉक नई दरों पर बिकेगा।

- पहले से रखी खाद के नहीं बढ़ेंगे दाम, नया स्टॉका होगा महंगा
- कोरोना से जूझ रहे किसानों की अब एक और परेशानी बढ़ गई
- 50 किलो वाले डीएपी खाद की कीमत में 58 फीसदी बढ़ोतरी

सहकारी समितियों के लिए निर्धारित दरें

प्रदाय दरः 31880.95
मार्जिनः 79.00
शुद्ध प्रदाय दरः 31959.95
जीएसटी
सीजीएसटी (केंद्र): 799.00
एसजीएसटी (राज्य): 799.00
समिति का मार्जिनः 421.00
समिति मार्जिन पर देय कर
सीजीएसटीः 10.53
एसजीएसटीः 10.53
किसानों को प्रदाय विक्रय दर
प्रति टनः 34000.00
प्रति बोरीः 1700.00
(50 किलो)

इनका कहना है

नई दरें किसानों को बाजार में बेचने के लिए नहीं हैं। इफको के पास मौजूद 11.26 लाख टन डीएपी किसानों को पुरानी दरों पर ही मिलेगा। ये नया रेट सिर्फ हमारे संयंत्रों द्वारा उर्वरकों के बैग पर अधिकतम समर्थन मूल्य पर प्रिंट के लिए था, जो कि अनिवार्य है।

डॉ. यूएस अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफको

उर्वरकों के बढ़े हुए रेटों के संबंध में जानकारी मिली है कि वर्तमान में जो स्टॉक अभी हमारे पास मौजूद है उसके दाम नहीं बढ़ेंगे। जल्द ही राज्य सरकार संबंधित विभागों को पत्र जारी कर सकती है।

जगदीश राजपूत, डायरेक्टर, इफको, राजगढ़-सीहोर

सहकारी समितियों के पास पूर्व भंडारित डीएपी खाद का स्टॉक है। जो कि पूर्व की दरों यानि 1200 प्रति बोरी में ही बिकेगा। यह दरें आगामी खरीफ सीजन के लिए निर्धारित की गई है। नया स्टॉक नई दरों पर बिकेगा।

रोहित कुमार श्रीवास्तव, जिला विपणन अधिकारी, खंडवा

डीएपी के दाम बढ़ने की जानकारी मिली है। कंपनियां स्वतंत्र हैं कि वह रेत बढ़ाएं या न बढ़ाएं। सरकार का हस्तक्षेप सिर्फ यूरिया के दामों पर होता है। हमारे पास 2100 टन डीएपी स्टॉक में है। स्टॉक में मौजूद डीएपी पुराने रेत में ही किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

संजय गीते, डीएमओ, राज्य सहकारी विपणन संघ, राजगढ़

मचा बवाल तो इफको ने कहा-

पुराने रेट पर बेचेंगे डीएपी

इधर, देश में किसान कई मसलों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सहकारी समिति इफको द्वारा खाद (गैर यूरिया फर्टिलाइजर) के दाम में भारी बढ़त की खबर से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इसके बाद इफको को सफाई देनी पड़ी कि वह पुराने रेट पर ही खाद बेचेगा और बढ़े रेट सिर्फ बोरियों पर प्रिंट करने के लिए थे। डीएपी (डाई अमोनिया फास्फेट) और एनपीके (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम आधारित उर्वरक) के रेट बढ़ने के मामले में इफको ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो रेट वायरल हो रहे हैं वे किसानों के लिए लागू नहीं है। इफको के पास 11.26 लाख टन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर (डीएपी,एनपीके) मौजूद हैं और ये किसानों को पुराने रेट पर ही मिलेंगी।

यह था वायरल मेल

सोशल मीडिया पर जो एक कथित ई-मेल वायरल हुई उसमें कहा गया कि एक अप्रैल से डीएपी की 50 किलो की बोरी की कीमत 1900 रुपए, एनपीके (10-26-26) 1775 रुपए, एनपीके (12-32-16) 1800 रुपए, एनपी (20-20-0-13) 1350 रुपए और एनपीके (15-15-15) 1350 रुपए होगी।

कोरोना से कर्मचारियों की मौत पर 25 लाख की सहायता देगा मंडी बोर्ड

भोपाल। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में गेहूं, चना सहित अन्य उपज की खरीद का काम कराने वाले मंडी समिति के अधिकारियों-कर्मचारियों को मंडी बोर्ड सुरक्षा का कवच देगा। बोर्ड ने तय किया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से किसी अधिकारी-कर्मचारी का निधन होता है तो उसके परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, उपचार का खर्च बोर्ड वहन करेगा।

कोरोना महामारी के इस दौर में भी मंडी समितियों के अधिकारी-कर्मचारी जान जोखिम में डालकर किसानों की फसल बिकवाने का काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 31 अधिकारियों-कर्मचारियों का निधन हुआ है। मंडी बोर्ड निधि से इन सभी के परिजनों को 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, इनके इलाज पर हुए खर्च की जिम्मेदारी भी बोर्ड उठाएगा। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू की गई है।

इनका कहना है

हमने निर्णय लिया है कि मंडी बोर्ड एवं मंडी समिति के कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाने पर हम उनके परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह राशि समान रूप से दी जाएगी। मप्र में एक अप्रैल से नियम लागू होगा।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

इंदौर, उज्जैन संभाग में 15 और जगह 25 मई तक होगी गेहूं खरीदी

किसानों का ब्याज 31 करोड़ रुपए चुकाएगी शिवराज सरकार

- कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लिया निर्णय
- अभी 61 लाख टन से ज्यादा गेहूं की हो चुकी खरीद
- उज्जैन-इंदौर संभाग में उपार्जन की तारीख बढ़ा कर 15 मई की गई
- शेष संभागों में अब 25 मई तक होगी फसलों की सरकारी खरीदी
- बैंकों का लोन चुकाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मई की गई
- कोरोना महामारी के बीच सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इंदौर और उज्जैन संभाग में 15 मई तक खरीद होगी। वहीं, अन्य संभागों में खरीद का काम 25 मई तक चलेगा। प्रदेश में अभी तक 61 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को साढ़े छह हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हो चुका है। वहीं, परिवहन का काम भी तेजी से कराया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को गेहूं बेचने के लिए एसएमएस भेजे जा चुके हैं। 24.65 लाख किसानों ने

समर्थन मूल्य (1,975 रुपए प्रति क्विंटल) पर फसल बेचने के लिए पंजीयन कराया है। अब तक 7.32 लाख किसानों से करीब 61 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। इसका मूल्य 10,596 करोड़ रुपए है। किसानों को अब तक साढ़े छह हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। खरीद का काम 4,588 केंद्रों में कोरोना संक्रमण की गाइड लाइन के अनुसार हो रहा है। हालांकि, खरीद के काम में लगे सहकारी समितियों के कुछ कर्मचारियों का कोरोना संक्रमित होने के बाद निधन हुआ है।

नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने बताया कि गेहूं खरीद के साथ-साथ परिवहन भी कराया जा रहा है। अब तक 80 प्रतिशत से अधिक गेहूं का परिवहन हो चुका है। इस बार 135 लाख टन खरीद के हिसाब से तैयारी की गई है, लेकिन संभावना है कि उपार्जन कम होगा क्योंकि उत्पादन प्रभावित हुआ है।

इनका कहना है

किसान के उत्पादन का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। इंदौर, उज्जैन संभाग खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई। इसी तरह, अन्य संभागों में फसल 25 मई तक किसान बेच सकते हैं। किसानों के लिए लोन चुकाने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है, जबकि इस अवधि के ब्याज की राशि 31 करोड़ रुपए का भार किसानों पर नहीं आएगा, यह राशि सरकार चुकाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सितंबर 2020 से अब तक किसानों को 1491 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अब 7 मई को नए वित्तीय वर्ष की पहली किश्त 1480 करोड़ रुपए 74 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

शिवराज सिंह चौहान, सीएम

लॉकडाउन के बाद भी प्रदूषण से घुट रहा दम

» मार्च के मुकाबले अप्रैल में शहर की हवा और खराब

» अधिकारी बोले- जलाई जा रही पराली प्रमुख कारण

संवाददाता, भोपाल

कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शहर में दूसरी बार लगे लॉकडाउन के बाद भी शहर की हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा। अफसरों के अनुसार राजधानी से लगे हुए खेतों में फसलों के अवशेष (नरवाई) जलाने से पूरे शहर में प्रदूषण बढ़ने लगा है। खासतौर पर रात से लेकर सुबह तक का वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जबकि दिन में स्थिति में सुधार हो जाता है। रात के समय लोग सोते हैं उस समय उनके घरों में प्रदूषित वायु प्रवेश करती है।

कोरोना काल में यह और भी घातक हो सकता है, क्योंकि इस धुएं वाले प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ और गले में खराश जैसे लक्षण पैदा होते हैं। इससे लोग अनावश्यक जांच कराने के लिए सेंटरों पर जाते हैं और वहां उनके संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की जा रही एयर क्वालिटी इंडेक्स की जांच में भी यह बात प्रमाणित हो रही है। अप्रैल में ही कई दिन में एक्यूआई सुबह 5 बजे 287 तक पहुंच गया। जबकि तय मापदंडों के अनुसार इसे सौ के नीचे ही रहना स्वास्थ्य के लिए ठीक माना गया है। रात में थोड़ी ठंडक हो जाने के कारण नरवाई जलाने के कारण उठने वाला धुआं ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए वह आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। जबकि दिन में गर्मी होने के कारण हवा के साथ यह कण ऊपर वायुमंडल में चले जाते हैं।

फैलता प्रदूषण घातक

खास बात यह भी है कि एक्यूआई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पीएम-10 आ रहा है। यह पर्टिकुलेट मैटर सूक्ष्म कण होते हैं जो धूल और धुएं से ही बढ़ते हैं। जबकि अमोनिया, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा अभी 50 से भी नीचे चल रही है। क्योंकि अभी कोरोना कर्फ्यू के चलते वाहन बहुत कम चल रहे हैं। यह वाहन भी दिन में ही चल रहे हैं और रात में बंद रहते हैं। इसलिए रात के समय सबसे बड़ा प्रदूषक पीएम-10 ही बना हुआ है जिसका स्तर 436 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच रहा है जो घातक है।

अदालत भी कह चुकी- इसके लिए सब जिम्मेदार

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में नरवाई या पराली जलाए जाने पर तीखी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि किसान अपनी आजीविका के लिए दूसरों को नहीं मार सकते। एसे किसानों से हमें कोई हमदर्दी नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि राज्यों के मुख्य सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, थाना प्रभारी और ग्राम पंचायतें नरवाई जलाने पर रोक नहीं लगा पाने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके बावजूद अभी तक नरवाई जलाने पर रोक नहीं लग पाई है। यहां तक कि राज्य शासन ने आदेश जारी कर नरवाई जलाने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए थे। यह जुर्माना तक नरवाई जलाने वालों पर नहीं लगाया जा रहा है। राजधानी के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दिल्ली जैसी स्थिति बनने का इंतजार है। बोर्ड के अनुसार पराली के कण जलाई हुई जगह से 10 से 15 किमी दूर तक हवा में ट्रैवल करते हैं। वहीं यह एक बार हवा में उड़ने के बाद काफी समय तक सेटल भी नहीं होते, जिस कारण हवा में इनकी मौजूदगी लंबे समय तक बनी रहती है।

श्मशान में रोज जला रहे 110 से 150 शव: मुक्तिधामों से मिले आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ दिन से अप्रैल से रोजाना 110 से 150 शवों का शवदाह किया जा रहा है, जिसके कारण भी शहर के पॉल्यूशन लेवल में बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्तमान में महामारी के चलते शहर के शवदाह गृहों में लकड़ी की खपत भी आम दिनों की तुलना में लगभग 4 गुना बढ़ गई है। इसके कारण भी शहर के आस पास की हवा में यानी परिवेशीय वायु में धूल के कणों की मात्रा बढ़ने से पॉल्यूशन लेवल में बढ़ोत्तरी हुई है।

मध्य प्रदेश में 11 पेड़ काटने पर 5.72 करोड़ जुर्माना

» रायसेन में सागौन के पेड़ काटने पर बड़ी कार्रवाई

» आईसीएफआरई ने एक पेड़ की औसत उम्र 50 वर्ष के आधार पर एक पेड़ का मूल्यांकन किया है 52 लाख 400 रुपए

संवाददाता, रायसेन

आक्सीजन के लिए देश में मची मारामारी ने लगता है इंसान को अब पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है। यह बात इस मामले से समझी जा सकती है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप स्थित रायसेन जिले में वन विभाग ने सागौन के 11 पेड़ काटने वाले आरोपितों पर 5 करोड़ 72 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की इस बड़ी रकम का आधार महानिदेशक भारतीय काउंसिल वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून (आईसीएफआरई) की उस रिपोर्ट को बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक पेड़ की औसत उम्र 50 वर्ष मानते हुए एक पेड़ का मूल्यांकन 52 लाख 400 रुपए किया गया है। इस आधार पर 11 पेड़ काटने का कुल जुर्माना 5 करोड़ 72 लाख 4,400 रुपए लगाया गया है।

2020 का मामला

रायसेन जिले के बम्होरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम करतौली निवासी आरोपी चेतराम यादव व अन्य दो लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 14 जून 2020 को वन परिक्षेत्र में घुसकर सागौन के 11 पेड़ काटे थे। वन अमले ने मौके पर जाकर पेड़ काटने के साक्ष्य जुटाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

इस तरह तय हुई एक पेड़ की कीमत

- आईसीएफआरई ने एक पेड़ की औसत उम्र 50 वर्ष मानते हुए तय किया है कि एक पेड़ का मूल्य 52 लाख 400 रुपए होना चाहिए।
- एक पेड़ अपने पूरे जीवनकाल में 11 लाख 97 हजार 500 रुपए मूल्य की आक्सीजन देता है।
- 23 लाख 68 हजार 400 मूल्य का वायु प्रदूषण नियंत्रित करता है।
- 11 लाख 97 हजार 500 मूल्य के बराबर भू-क्षरण रोकने व उर्वरा शक्ति बढ़ाने का योगदान देता है।
- 4 लाख 37 हजार मूल्य के बराबर बारिश के पानी का संचयन, मिट्टी का कटाव रोकने व जल रिसाइकिल करने जैसे लाभ देता है।

ऐसे मामलों में मिल जाती है जमानत

बीते दिनों रायसेन जिले के ग्राम बैलगांव निवासी छोटेलाल आदिवासी पर दो पेड़ काटने के दंड स्वरूप वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र कुमार पलेचा ने एक करोड़ 21 लाख मूल्यांकन करते हुए जुर्माना लगाया था। यह प्रकरण प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बरेली के समक्ष पेश किया गया था। वहां से आरोपी को जमानत मिल गई थी।

इनका कहना है

आईसीएफआरई के मूल्यांकन के आधार पर इन पेड़ों की कीमत 5 करोड़ 72 लाख 4,400 रुपए आंकी गई है। आरोपियों को पेड़ों का महत्व बताने के लिए उन पर यह भारी जुर्माना ठोका गया है। वन परिक्षेत्र बम्होरी में बीते छह माह में पेड़ कटाई के ऐसे 25 मामले आए हैं। इन सभी मामलों में इसी फार्मूले के आधार पर जुर्माना लगाया गया है। ऐसे मामलों में प्रकरण न्यायालय प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। न्यायालय का फैसला मान्य होता है।

महेंद्र कुमार पलेचा, वन परिक्षेत्र अधिकारी

मुख्य देसी नस्लः मालवी, केनकथा, निमाड़ी और ग्वालो गाय

संकट में मप्र की गाय

- प्रदेश के लोगों में गाय पालने के प्रति रुचि दिनों-दिन हो रही कम
- शासन के दावों की खुली पोल, विदेशी गायों को मिल रहा संरक्षण

-सावधान! तो दस साल बाद देखने को नहीं मिलेंगी मप्र में देसी गाय

भोपाल। मध्यप्रदेश में गायों की देसी नस्ल की तरफ लोगों का रुझान कम होता जा रहा है। प्रदेश में मुख्य तौर पर चार देसी नस्ल पाई जाती हैं जिनमें मालवी, निमाड़ी, ग्वालो और कैनकथा शामिल हैं। मालवी नस्ल मालवा में, निमाड़ी नस्ल निमाड़ में, ग्वालो महाकोशल और कैनकथा बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा संकट कैनकथा पर है जो कि मुख्य तौर पर पन्ना में पाई जाती है, इसकी संख्या में बड़ी गिरावट आती जा रही है। सरकार इन नस्लों को बचाने का दावा कर रही है, लेकिन संरक्षक के साथ ही दूध उत्पादक विदेशी गायों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वहीं प्रदेश में गायों के प्रति लोगों के घटते रुझान के पीछे कुछ मुख्य कारण सामने आए हैं। गायों में दुग्ध उत्पादकता कम हो रही है। साथ ही उसके दूध का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। इसके बछड़े का भी कोई उपयोग नहीं होता। लोगों को लगने लगा है कि गाय पालना घाटे का सौदा बनता जा रहा है। इधर, राज्य सरकार गायों की संरक्षण के दावे तो बड़े-बड़े कर रही है, लेकिन मप्र की जो चार मूल नस्ल की देसी गाय हैं, उनके संरक्षण पर कोई बात ही नहीं हो रही। सिर्फ अन्य राज्यों की मूल गाय गिरी, साहीवाल और थारपारकर नस्ल की गायों को मप्र संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि अगर यही हाल रहा तो आगमी दस साल में मप्र की मूल नस्ल की गाय देखने को नहीं मिलेंगी।

पहलीः मालवी गाय

मालवी प्रजाति के बैलों का उपयोग खेती और सड़कों पर हल्की गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है। इनका रंग लालए खाकी तथा गर्दन काले रंग की होती है। इस नस्ल की गाय दूध कम देती हैं। मध्य प्रदेश के आगर, शाजापुर, मंदसौर और उज्जैन क्षेत्र में यह नस्ल पायी जाती है। यह गाय प्रति ब्यांत में 627.1227 लीटर दूध देती है। दूध की वसा (फैट) 4.3 फीसदी होती है।

दूसरीः निमरी गाय

निमरी का मूल स्थान मध्य प्रदेश है। इसका रंग हल्का लाल, सफेद, लाल, हल्का जामुनी होता है। इसकी चमड़ी हल्की और ढीली, माथा उभरा हुआ, शरीर भारा, सींग तीखे, कान चौड़े और सिर लंबा होता है। यह नस्ल एक ब्यांत में औसतन 600-954 किलो दूध देती है। दूध की वसा (फैट) 4.9 फीसदी होती है।

तीसरीः ग्वालो गाय

ग्वालो नस्ल नागपुर, चिंदवाड़ा और वधो में पायी जाती है। इनके शरीर मध्यम आकार का और रंग सफेद से सलेटी होता है। इसका सिर लंबा, मध्यम आकार के कान और छोटे सींग होते हैं। यह गाय प्रति ब्यांत में औसतन 470-725 लीटर दूध देती है। दूध में 4.32 प्रतिशत वसा की मात्रा होती है।

चौथीः केनकथा गाय

केनकथा गाय का मूल स्थान उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश है। इस नस्ल को केनवारिया के नाम भी जाना जाता है। इनका शरीर छोटा, सिर छोटा और चौड़ा, कमर सीधी और कान लटके हुए होते हैं। इस नस्ल की पूंछ की लंबाई मध्यम होती है। इस की औसतन लंबाई 103 सेमी होती है। यह गाय प्रति ब्यांत में औसतन 500-600 लीटर दूध देती है।

केंद्र की पशुगणना में हुआ खुलासा

इधर, एक तरफ मध्यप्रदेश सरकार गौशाला बनाकर गायों के संरक्षण और संवर्धन की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ लोगों में गाय पालने की रुचि कम होती जा रही है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गायों की संख्या में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार की पशु गणना की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। पशुओं की गणना हर सात साल में होती है। 2012 के बाद 2019 में ये गणना हुई है। मध्यप्रदेश में 2012 में 1 करो? 96 लाख गायें थीं जो 2019 में घटकर 1 करोड़ 87 लाख गाय रह गई हैं। यानी 9 लाख गाय कम हो गई हैं। प्रदेश में 4.42 फीसदी गायों की संख्या में कमी आई है। वहीं राजस्थान में 2012 में 1 करो? 33 लाख गाय थीं जो 2019 में बढ़कर 1 करोड़ 39 लाख हो गई हैं। राजस्थान में 4.41 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। मध्यप्रदेश में जितने लोगों ने गाय पालने में दिलचस्पी कम की है उतने ही लोगों ने राजस्थान में गाय पालने में अपनी रुचि दिखाई है। छत्तीसगढ़ में 2012 में 98 लाख गाय थीं जो 2019 में बढ़कर 1 करोड़ हो गई। छत्तीसगढ़ में 1.63 फीसदी का इजाफा हुआ है।

गाय पालन में राजस्थान-छत्तीसगढ़ आगे

राजभवन में राठी नस्ल की गाय

गायों की देसी नस्लों में सुधार और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके इसके लिए मप्र के राजभवन में प्रदेश की एक मात्र राठी नस्ल की गाय और थारपारकर नस्ल की गाय को डोनर बनाया गया है। इन गायों के भ्रूणों को दूसरी गायों में प्रत्यारोपित कर उनकी नस्ल सुधारी जाएगी। फिलहाल इसका प्रयोग राजभवन की गिर और साहीवाल नस्ल की गायों पर किया जा रहा है। यह पहल राज्यपाल स्व. लाल जी टंडन ने की थी। राजभवन में मालवी, निमाड़ी, साहीवाल, कांकरेज, थारपारकर और राठी नस्ल की एक-एक गाय और गिर नस्ल की दो गायों का राजभवन की गौशाला में पालन हो रहा है।

ग्रामीण भारत की आर्थिक आजादी और खुशहाली की गारंटी देने वाली प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

कमल पटेल
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री

यह महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत है, जो लंबे समय तक कांग्रेस सरकारों कि अदूरदर्शिता और खराब नीतियों से बुरी तरह प्रभावित रहा है। लेकिन अंततः इस देश ने कांग्रेस को नकार कर और भारतीय जनता पार्टी पर गहरा भरोसा दिखाते हुए राजनीतिक बदलावों से उन नाकामियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ठान ली है।

आजादी के बाद आठवें दशक में अब यह देश मोदी युग में प्रवेश कर चुका है। उनके नेतृत्व में भारत अब विकास,खुशहाली, जन-कल्याण की नई ऊंचाइयों और ग्राम स्वराज को मजबूत करने की दिशा में नित नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल भारत में लोक-कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत का एक साल बीत चुका है। यह योजना स्वतंत्र भारत और ग्रामीण भारत की आर्थिक आजादी का प्रतीक होकर ग्रामीण भारत को मजबूत और खुशहाल करने वाली सबसे बड़ी योजना है। इस योजना से महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को जमीनी स्तर पर लागू करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया है। 24 अप्रैल को देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है और बीते साल इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस महती योजना का सूत्रपात कर ग्रामीण भारत के विकास की अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। इसके साथ ही देश की करोड़ों ग्रामीण जनता को आर्थिक आजादी मिलने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ, जो पूर्व की कांग्रेस सरकारें नहीं कर सकी थीं। ग्रामीण भारत की सुख, शांति, संपन्नता और सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर मध्यप्रदेश में भी व्यापक उत्साह रहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अस्तित्व में आते ही प्रदेश की भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। मध्यप्रदेश की ग्रामीण जनता में इसके प्रभाव और उज्जवल परिणाम सभी के साथ साझा करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के साथ इस एक साल में मध्यप्रदेश का हरदा जिला एक मिसाल बन गया है, जिसने स्वामित्व योजना के अनुसार सम्पूर्ण दस्तावेज शत प्रतिशत तैयार कर लिए है। इसके साथ ही इसका त्वरित लाभ जिले के 402 राजस्व ग्रामों की संपूर्ण आबादी को मिल सके, इसलिए इन दस्तावेजों के वितरण की भी तैयारी कर ली है। मध्यप्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के सम्पूर्ण देश में पहले लाभार्थी, हरदा जिले के रामभरोसे विश्वकर्मा बने हैं। जिले के एक छोटे से गांव अबगांवकला के रामभरोसे विश्वकर्मा की जमीन, घर, कुआं और पेड़ सभी यहां से गुजर रहे हाइवे के कारण अधिग्रहित कर लिए गए थे। हरदा जिले का ग्राम मसन गांव पहला गांव है, जहां 2 अक्टूबर 2008 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना अधिकार पुस्तिका प्रदान कर सबसे पहले हितग्राहियों को लाभान्वित किया था। पिछले सात दशकों से देश की बड़ी आबादी यह दर्द भोगती रही है, जिसके अनुसार ग्रामीण आबादी कहलाने वाली जमीन पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता। यही कारण था की रामभरोसे विश्वकर्मा को मुआवजा नहीं दिया गया था और उनका जीवन दुख और परेशानियों से भर गया था। लेकिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लागू होना रामभरोसे के लिए संजीवनी बन गया। उन्हें अपनी जमीन, कुएं, पेड़ आदि के मुआवजे के बतौर 21 लाख 14 हजार रुपए दिए गए और इस प्रकार वे देश में इस योजना के पहले लाभार्थी भी बने। निश्चित ही देश और मध्यप्रदेश के लिए यह गौरव और सफलता के पल है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का हृदय से आभारी हूं, जिनकी दूरगामी सोच जन-कल्याण के लिए बेहद शानदार परिणाम दे रही है। वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भू-राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस योजना के लागू होने से लेकर जो सतत दिलचस्पी दिखाई है, वह बेहद उत्साहवर्धक रही है। इसीलिए इस लक्ष्य को तेजी से पूरा किया जा सका है और ग्रामीण जनता इससे लाभान्वित हो रही है। यह देखा गया है कि ग्राम पंचायतें न केवल प्रशासन की दृष्टि से बल्कि देश की अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से भी मुख्य आधार रही है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का सीधा संबंध कृषि व्यवस्थाओं से होता है। भारतीय कृषि व्यवस्था और भारतीय किसान व्यवस्थागत कमियों से बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। इस सरकार की प्राथमिकताओं में गांव, गरीब और ग्राम स्वराज है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से निश्चित ही भारत के ग्रामीण समाज को विकास और प्रगति से सीधे जुड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतें डिजिटल होकर संचार के आधुनिकतम संसाधनों से लैस होगी। वहीं ग्रामों में स्थित जमीन को लेकर व्यापक सुधारों के साथ बैंक से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। ई-ग्राम स्वराज से सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने के लिए एक सार्थक कदम उठाया गया है, जिससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड रखना आसान होगा। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के जरिये पंचायतों के फंड, उसके कामकाज इत्यादि की पूर्ण जानकारी होगी। इससे विकास से जुड़ी परियोजनाओं के काम में भी तेजी आएगी। इसके अंतर्गत ई-ग्राम स्वराज एप की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो वास्तव में पंचायतों का लेखा-जोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन से गाँव खेत और भूमि की मैपिंग की जाएगी, जिससे गांव में भूमि को लेकर विवाद खत्म हो जाएंगे। इससे भूमि के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और भूमि से संबंधित भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी। यह देखने में आया है कि गांव में जमीन की नाप-तौल को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है और यह विवाद का कारण बन जाता है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को कई फायदे होंगे, जिसके अनुसार सम्पति को लेकर भ्रम और झगडे समाप्त हो जाएंगे, गांवों में विकास योजना में सहायता मिलेगी। शहरों की तरह गांवों में लोग बैंकों से लोन ले सकेंगे और इन सब सुविधाओं के कारण ग्रामों के विकास कार्यों में तेजी और प्रगति होगी। जमीन की मैपिंग के बाद ग्रामीणों को उनकी संपति का मालिकाना प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा।

आत्म-निर्भर मप्र की संजीवनी बनेगा प्रदेश का पर्यटन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प और साहसी निर्णयों ने आज मध्यप्रदेश को विकासशील राज्य की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया है। उनके प्रयासों और संकल्प से आज पर्यटन क्षेत्र आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की संजीवनी के रूप में उभरा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश एक दूसरे के पूरक है। नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत स्थापत्य कला के धनी मप्र का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति पूरे भारत में अद्वितीय है। जिस तरह हीरे की असली परख जौहरी को ही होती है उसी तरह मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार और विकास की असीम संभावनाओं को तलाशने का हुनर मुख्यमंत्री शिवराज में ही है। उन्होंने न सिर्फ प्रदेश के नैसर्गिक और लुभावने स्थलों को पर्यटन के लिए विकसित किया बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा किए। अब पर्यटन सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा बल्कि रोजगार, स्थानीय संस्कृति और खान-पान, कला और स्थापत्य कला का केंद्र-बिंदु भी बनके उभरा है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में पर्यटन विभाग ने कोविड के बाद की परिस्थितियों के अवसरों को तलशाना जारी रखा। नित नए प्रयासों और नवाचारों से मध्यप्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को ढूंढने के उद्देश्य को लेकर सतत प्रयास किया। पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, लेइश्यरू टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म की सभी संभावनाओं को विकसित किया गया। सभी उम्र के व्यक्तियों की रुचियों को ध्यान में रखकर गतिविधियाँ आयोजित की गई। रूरल टूरिज्म, हेरिटेज वॉक, इंस्टाग्राम मांडू टूर, साइकिल टूर, आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार, म्यूजिकल कंसर्ट और फूड बाजार जैसे नवाचार किए गए। मध्यप्रदेश एडवेंचर टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनके उभरा है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और मनभावन वातावरण अनायास ही ट्रेकिंग, सफारी और कैंपिंग के शौकीनों को आकर्षित करता है। एडवेंचर टूरिज्म की इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग ने प्रदेशभर में 30 से ज्यादा कैंपिंग साइट विकसित किए गए हैं। पर्यटकों के हॉलिडे को एक्टिव हॉलिडे में परिवर्तित करते हुए टूर-डे सतपुड़ा, हेरिटेज रन, पचमढ़ी मॉनसून मैराथन जैसे कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बैलून सफारी, टाइग्रेस ऑन ट्रेल और भोपाल में प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा की स्थापना आदि प्रमुख नवाचार रहे हैं। वर्तमान में भी मध्यप्रदेश को 365 डेज का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का संकल्प लेकर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वार्षिक आयोजनों की श्रृंखला में 5 जल महोत्सवों और ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया है। वेब सीरीज पंचायत, गुल्लक और धाकड़ के फिल्मांकन से मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसी दिशा में ग्रामीण पर्यटन की संकल्पना पर वैल्यू फॉर मनी डेस्टिनेशन के विकास कार्य में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाया जाएगा। इससे क्षेत्र विशेष की संस्कृति और धरोहर से पर्यटक परिचित हो सकेंगे। मध्यप्रदेश को वैलनेस एंड माइंडफुल टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी निरंतर प्रयास जारी है।

मास्क नाक के नीचे रखने या मुंह पर कपड़ा लपेटने से नहीं बनेगी बात

-संजय गुप्त

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में भी हाहाकार जैसी स्थिति पैदा कर दी है। संक्रमण की यह दूसरी लहर कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूपों के कारण अधिक तेज है। फिलहाल अस्पतालों में कोरोना मरीजों का तांता लगा है। डॉक्टर और नर्स उनका उपचार बहुत लगन से कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण का प्रकोप इतना भयंकर है कि ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की किल्लत है। तमाम अस्पतालों में तो एक-एक बेड पर दो-दो मरीज हैं। कोविड महामारी से ग्रस्त कई मरीजों को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। स्थिति बिगड़ने पर रेस्पारेटर लगाने पड़ते हैं। कितने ही अस्पताल ऐसे हैं, जहां मरीजों की अधिक संख्या के चलते रेस्पारेटर पर्याप्त नहीं साबित हो रहे हैं। स्थिति गंभीर होने के कारण जनमानस डरा हुआ है और हालात संभलते न देख व्याकुल है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जिस व्यापकता के साथ देश को चपेट में ले लिया है, उसकी उम्मीद शायद नीति-नियंताओं और डॉक्टरों को भी नहीं थी। सवाल है कि जब अन्य देश कोरोना की दूसरी-तीसरी लहर से दो-चार हो रहे थे तो हमारे नीति-नियंता यह मानकर क्यों चल रहे थे कि भारत में ऐसा नहीं होगा। जनवरी-फरवरी में जब पहली लहर थोड़ी थम सी गई तो पता नहीं क्यों सरकारों से लेकर डॉक्टर तक सभी आश्वस्त हो गए कि देश महामारी से उबर रहा है। नतीजा यह हुआ कि जिस स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त करने की कोशिश पिछले साल अगस्त-सितंबर में शुरू हुई थी, उसमें ढिलाई आ गई। इसी के साथ लोग भी लापरवाह हो गए। चूंकि पिछले साल इस नतीजे पर पहुंचा गया था कि कोविड से लड़ने का एक बड़ा हथियार ऑक्सीजन है, इसलिए देश भर में 160 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाना तय हुआ, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि कहां कितने प्लांट समय से लग रहे हैं। आखिर इसे बेपरवाही के अलावा और क्या कहा जा सकता है।

जब जनवरी-फरवरी में ऑक्सजीन की मांग नहीं बढ़ी तो और सुस्ती आ गई। ऑक्सीजन को लंबी दूरी तक भेजना थोड़ा मुश्किल होता है। अपने देश में ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए जैसे टैंकर चाहिए, वैसे पर्याप्त संख्या में नहीं है। बीते दिनों जब ऑक्सीजन की मांग बढनी शुरू हुई तो केंद्र सरकार ने आनन-फानन ऑक्सीजन उद्योग और खास तौर पर स्टील प्लांट में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को भी अस्पतालों में भेजना शुरू कर दिया, लेकिन स्थिति संभल नहीं रही है। इसका प्रमाण है ऑक्सीजन के अपने कोटे के लिए राज्यों में खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप। मप्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बीच कुछ ज्यादा ही खींचतान दिख रही है। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन, दवाओं आदि की किल्लत दूर करने के लिए आपदा अधिनियम के तहत कुछ कड़े फैसले लिए और ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाने एवं उसकी आपूर्ति सुव्यवस्थित करने के लिए रेलवे और सेना को भी सक्रिय कर दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत की लापरवाही भारी पड़ रही है। जब दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कोरोना संक्रमण में कमी आई तो दवाओं, ऑक्सीजन के साथ रेस्पेरटर की मांग में कमी आई। अब जब फिर से उनकी जरूरत पड़ रही है तो शासन-प्रशासन के साथ अस्पताल प्रबंधन बगले झांक रहे हैं। इसलिए और भी, क्योंकि सामान्य तौर पर 15-20 प्रतिशत मरीजों को ही ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब तो एक बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों को उसकी जरूरत पड़ रही है। जितनी उसकी मांग है, उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है और आपूर्ति में एक बाधा तालमेल के अभाव की भी है। भारत का स्वास्थ्य ढांचा पहले भी दुरुस्त नहीं था। कोरोना की पहली लहर ने इसकी पोल खोली थी, लेकिन अब तो सब कुछ चरमराता दिख रहा है। यदि चरमराते स्वास्थ्य ढांचे को समय रहते सुधारने के प्रयास किए जाते तो जो स्थिति बनी, उससे बचा जा सकता था। कम से कम अब तो हमारे नीति-नियंता चेत जाएं, क्योंकि संक्रमण की एक और लहर आ सकती है। यह माना जाना चाहिए कि जिन लोगों पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करने की जिम्मेदारी थी, उनसे चूक हुई और आज देश को उसके ही दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं।

पिछली कोरोना लहर में करीब 70 फीसद आबादी वाला ग्रामीण क्षेत्र बच गया था, लेकिन इस बार वहां भी संक्रमण पैर पसारते दिख रहा है। मुंबई, दिल्ली से जो श्रमिक अपने गांव लौट रहे हैं, वे कोरोना न फैलाने पाएं, इसके लिए सजगता प्रशासन को भी दिखानी होगी और शहरों से लौटते लोगों को भी। दिल्ली और मुंबई में फिलहाल लॉकडाउन है। अन्य बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो दिया, लेकिन यदि हालात नहीं संभले तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। यह स्थिति अन्य राज्यों में भी आ सकती है। इस बार मास्क को नाक के नीचे रखने या मुंह पर कपड़ा लपेटने से बात नहीं बनेगी।

खसरे पर संपत्ति के मालिक की होगी अपनी आईडी

■ हर साल अप्रैल में किसानों की जमीन के हिसाब से खसरे में बदलाव होगा, तुरंत मिलेगी जानकारी

संवाददाता, भोपाल

किसानों को उनकी जमीन के खसरे में कुछ बदलाव दिखेगा। क्योंकि अब हर साल अप्रैल में किसानों की मौजूदा जमीन के हिसाब से खसरे में बदलाव होता रहेगा। खसरे पर किसान की अपनी आईडी रहेगी, जिसे पोर्टल पर दर्ज करते ही उसे अपनी पूरी जमीन की जानकारी मिल जाएगी। किसानों की जरूरत को देखते हुए भू-अभिलेख विभाग ने बरसों पुरानी व्यवस्था को बदला है। भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020 के आधार पर ही सालों पुराने भू-अभिलेख के प्रारूप में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। खसरे में कॉलम तो पहले की तरह 12 ही रखे गए हैं, लेकिन किसान की जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव हुआ है। अब हर किसान को आधार की तरह यूनिक आईडी मिलेगी। जिसकी मदद से वह अपने नाम पर दर्ज सारी संपत्ति की जानकारी एक ही क्लिक पर पता कर सकेगा।

ऐसे समझें खसरे में हुए बदलाव को

पहले: खसरे के कॉलम नंबर-1 में सिर्फ सर्वे नंबर से जुड़ी संख्या अंकित होती थी।
अब: जमीन के हर भाग को एक यूनिक आईडी मिलेगी, यह सिस्टम से जनरेट होगी।

पहले: कॉलम नंबर-2 में क्षेत्रफल, खाते से बाहर जमीन का वर्णन होता था।
अब: भूमि उपयोग का रूप दर्ज होगा जैसे कृषि, अन्य या आवासीय। इन्हें कैटेगरी में बांटा जाएगा।

पहले: कॉलम 3 में कब्जेधारी, निवास, मालिक और लगान की डिटेल होती थी।
अब: प्लॉट का नंबर होगा। ऐसा कृषि भूमि के अलावा उपयोग पर किया जाएगा।

पहले: कॉलम नंबर-4 में पट्टे की रकम और उप पट्टे के भाग का क्षेत्रफल रहता था।
अब: क्षेत्रफल, भूमि का उपयोग, भू भाटक लिखा जाएगा। कृषि भूमि हेक्टेयर में और आवासीय वर्गमीटर में लिखी जाएगी।
पहले: कॉलम 5 में फसल की डिटेल रहती थी।
अब: भूमि स्वामी का पता, उसके परिवार व जमीन सरकारी है या नहीं यह लिखा जाएगा।
पहले: कॉलम-6 में क्षेत्रफल और 7 में दो फसली क्षेत्रफल तथा 8 में चालू वर्ष की पड़त रहती थी।
अब: कॉलम-6 में हर भूमि स्वामी का अंश, कॉलम-7 में पट्टेधारी की डिटेल तथा 8 नंबर कॉलम में आधिकारिक किसान का नाम।
पहले: कॉलम नंबर-11 में खाते के बाहर की फसल, क्षेत्रफल और 12 में कैफियत होती थी।
अब: कॉलम-10 में फसल खरीफ, रबी या अन्य की कैटेगरी और कॉलम-12 में जमीन पर कुएं-पेड़ व अन्य संरचना, सिंचाई के साधन लिखे जाएंगे।

कोरोना का कहर: लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से नहीं आ रहे फल

विटामिन-सी देने वाले संतरा मौसंबी-अंगूर के बढ़े दाम

संवाददाता, भोपाल

कोरोना संक्रमण की वजह से शहर में फलों की आवक भी घट गई है। महाराष्ट्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के शहर, मप्र के बुरहानपुर, ब्यावरा और शाजापुर आदि शहरों से आने वाले फलों की गाड़ियां कम संख्या में ग्वालियर आ पा रही हैं। इस कारण पिछले साल अप्रैल के मुकाबले में इस बार फलों की आवक नहीं हो रही है। विशेष तौर पर संतरा, मौसंबी और अंगूर की आवक कम हुई है, इसलिए इनके दाम अधिक वसूले जा रहे हैं। फल मंडी के कारोबारियों के मुताबिक संतरा की आवक 300 टन से घटकर 2 टन रह गई है, जबकि मौसंबी की आवक 50 टन से घटकर 15 टन पर आ गई है। इसी तरह अंगूर की आवक 70 टन से घटकर 20 टन रह गई है।

विटामिन-सी के बड़े स्रोत

विशेषज्ञों के मुताबिक संतरा, अंगूर और मौसंबी विटामिन-सी के बड़े स्रोत हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विटामिन-सी युक्त फल खाने की सलाह लोगों को दी जा रही है, लेकिन ये फल बहुत कम मात्रा में शहर में उपलब्ध हैं। इसी कारण इन फलों की कीमत बढ़ गई है। संतरा तो इक्का-दुक्का स्थान पर ही दिखाई देता है, वह भी कोल्ड स्टोरेज से निकाला हुआ संतरा है जो तकरीबन 100 रुपए प्रतिकिलो के भाव में मिल रहा है।

सबसे महंगा बिक रहा सेब फल

फल	थोक खेरीद
आम	50-80
मौसंबी	60-80
संतरा	70-100
केला	24-30
अंगर	60-70
खरबूजा	30-40
तरबूज	17-25
पपीता	30-40
सेब	150-200
अनार	100-120

नोट: भाव रुपए प्रति किलो में।

कहां से आता है कौन सा फल

मौसंबी आंध्र प्रदेश के शहरों से आता है। अंगूर और संतरा महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा और वर्धा आदि जिलों से आता है। केला बुरहानपुर, ब्यावरा से ज्यादातर आता है। आम इन दिनों आंध्र प्रदेश से आ रहा है।

शहर से गांव पहुंचा कोरोना

संवाददाता, इंदौर

कोरोना संक्रमण से अब तक शहर ही बेहाल था, लेकिन महामारी ने अब गांवों में भी अंदर तक दस्तक दे दी है। इंदौर जिले में तो 65 फीसदी गांवों में इस खतरनाक वायरस ने ठिकाना बना लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 2100 लोग कोविड-19 पाजिटिव मिले हैं। साथ ही 28 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पर गांव के हालात अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। हर गांव में दर्जनों लोग बीमार पड़े हैं। अधिकांश की कोराना जांच नहीं हो पाई है तो कई मौतों का रिकॉर्ड ही नहीं है। शुरुआत में सर्दी, खांसी और बुखार आने पर ग्रामीणों ने इसे सामान्य समझा और गांव में ही इलाज कराते रहे। जब हालात बिगड़े तो शहर के अस्पतालों में आना शुरू किया, लेकिन यहां कई लोगों को अस्पताल न मिलने से बिना इलाज गांव लौटना पड़ा। अब जाकर सरकार का ध्यान गांवों पर गया है, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य अमले के शहर से समय निकालकर गांव पहुंचने के पहले ही कोरोना वहां डेरा डाल चुका है।

» इंदौर जिले के 65 फीसदी गांव वायरस से हो गए प्रभावित

» इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 2100 लोग पाजिटिव मिले

» गांवों में सिर्फ खेती के काम से ही बाहर निकल रहे लोग

गांवों में की गई सेंपलिंग

इधर, इंदौर से भाजपा सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए गांवों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए सर्वे व स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेंपलिंग शुरू की गई है। कोविड केयर सेंटर और क्वारेंटाइन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग के कोविड केयर सेंटर में एक ब्लॉक और कुछ बेड ग्रामीण क्षेत्र के कोरोना मरीजों के लिए भी आरक्षित रखे जाएंगे। उनके लिए आक्सीजन बेड भी रहेंगे।

200 ग्राम पंचायतों में संक्रमण

- हालात की भयावहता इसी से समझी जा सकती है कि इंदौर जिले की 312 ग्राम पंचायतों में से 200 से अधिक पंचायतों में कोरोना संक्रमित हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर दिन सैकड़ों संक्रमित पाए जा रहे हैं।
- संक्रमण का प्रकोप महू विकासखंड पर है। महू ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक 1149 पाजिटिव और कोरोना से सबसे ज्यादा 11 मौतें भी यहीं हुई हैं। दूसरे नंबर पर सांवेर विकासखंड है जिसमें 576 पाजिटिव और 6 मौतें दर्ज की गई हैं। तीसरा नंबर इंदौर का है। इंदौर विकासखंड में 255 संक्रमित और 6 मौतें हैं। देपालपुर में 120 कोरोना संक्रमित हैं तो 5 लोगों की मौत हो चुकी है।

यहां हुई लापरवाही

- सांवेर तहसील के लसुड़िया परमार, कुड़ाना और गुरान सहित कुछ अन्य गांव ऐसे हैं जहां 6 से लेकर 12 तक मौतें कोरोना से हुई हैं। कई लोग ऐसे भी रहे जो बीमार पड़े, गांव में इलाज कराते रहे लेकिन कोरोना का टेस्ट नहीं कराया और उनकी मौत हो गई। ऐसी मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो पाई।
- गांव से शहर और शहर से गांव के बीच कामकाजी लोगों और बाजार-हाट के लिए आने के कारण कोरोना वायरस को यात्रा का मौका मिल गया। कृषि उपज मंडियां भी कोरोना संक्रमण की वाहक रही।
- गांवों में शादियों और तेरहवीं के कार्यक्रमों में भी ग्रामीणों ने खूब जमावड़ा किया। मास्क और शारीरिक दूरी का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। इस कारण भी वायरस को विचरण की भरपूर आजादी रही।

अब क्याः छिपाएं नहीं, जांच कराएं, बंद करें पंगत और संगत

- अब गांव के किसी भी घर में किसी सदस्य को कोरोना के लक्षण लग रहे हों तो छिपाएं नहीं। इसकी जांच कराएं और खुद को क्वारेंटाइन कर लें। पाजिटिव आने पर इलाज कराएं।
- गांवों में शादियों व अन्य कार्यक्रमों में पंगत (सामूहिक भोज) बंद करें। हो सके तो संक्रमण की लहर थमने तक शादियों को आगे बढ़ा दें। भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम और गांव की चौपालों पर संगत भी बंद कर दें। मास्क लगाकर रहें और शारीरिक दूरी का पालन करें।
- इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जनपद और ग्राम पंचायतों के जरिए करीब 350 क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। जिन लोगों के पास होम आइसालेशन की जगह नहीं है, वे इन सेंटरों पर रह सकते हैं।

मैन पावर की कमी, पंचायतों से मांगे कर्मचारी

इधर, एक मई से शुरू हो रहे 18 प्लस के वैक्सीनेशन में अब मैन पावर की नई समस्या खड़ी होगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए अब कर्मचारियों की कमी पड़ गई। इधर, टीकाकरण को जल्द निपटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाने की प्लानिंग पर चर्चा होने लगी है। ऐसे में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब पंचायत विभाग से मदद मांगी है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने की मांग की है।

यदि पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पंचायत के कर्मचारी मिल गए तो वैक्सीनेशन ज्यादा प्रभावी तरीके से होगा। स्थानीय पंचायत सचिव, सहायक सचिव से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता की मदद से विभाग ने टीकाकरण निपटाने की कार्य योजना तैयार की है। यदि पंचायत विभाग से टीकाकरण के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं होंगे तो स्वास्थ्य विभाग के सामने नई चुनौती खड़ी हो जाएगी।

शहर आने से कतरा रहे

कृषि कार्य से जुड़े ग्रामीण ने बताया, किसान इन दिनों खेतों की जुताई और गेहूं के फसल उपार्जन कार्य में व्यस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट नहीं होने की वजह से गांव के जल स्त्रोतों पर भीड़ एकत्रित होती दिखाई नहीं दी। बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य, मनरेगा और निर्माण कार्य में मिली हुई छूट का बेवजह फायदा उठाते हुए ग्रामीण नजर नहीं आ रहे, लेकिन धीरे-धीरे जिले के ग्रामीण अंचलों में कोरोना की दस्तक सुनाई देने लगी है। इसका डर ग्रामीणों में दिखने लगा है। इस कारण लोग शहर आने से कतराने लगे हैं।

सिर्फ ग्रामीणों ने माना लॉकडाउन, शहरवासी उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

मप्र में कोरोना संक्रमण जानलेवा बन गया है। इसको देखते हुए शासन-प्रशासन ने शहरों में लॉकडाउन लगा रखा है। लेकिन लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इस कारण ट्रैफिक पुलिस और थानों की पुलिस ने 20 मार्च की रात से अब तक करीब साढ़े 12,000 ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर चुकी है जो शहर की सड़कों पर बिन मास्क लगाए बेवजह घूम रहे थे। साथ बिना कारण घूमने वाले करीब 2500 लोगों पर पुलिस शासकीय आदेश का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कर चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने अपने गांव में एक तो स्वयं कोरोना कर्फ्यू लगा रहा है। साथ ही अधिकांश ग्रामीण अब गाइड का पालन करते नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण का असर अब ग्रामीण अंचलों में भी दिखाई देने लगा है। यहां लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं।

-गेहूं बेच किसान कर रहे पुकार, कम से कम लॉकडाउन में तो राहत दे सरकार

किसानों का भुगतान पत्रक में ही काटा जा रहा लोन का पैसा

वेयर हाउस और नॉन के अधिकारियों की मनमानी

भोपाल। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच समर्थन मूल्य पर सरकार ने अब तक 61 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदा है। गेहूं का तौल के बाद जब भुगतान पत्रक तैयार हो रहे हैं तो उसमें किसानों की सोसायटियों की राशि काटी जा रही है। इस कारण किसानों को आधे पैसे का ही बिल मिल रहा है। शिकायत किसान खरीदी केंद्रों में कर रहे हैं तो उन्हें जवाब मिल रहा है कि आपके सामने बिल बना रहे हैं। आगे से ही राशि कट रही है। हम क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन में पैसा काटने से किसानों में नाराजगी है। किसानों का कहना है हम सरकार को राशि जमा करा देंगे। कम से कम लॉकडाउन में तो सरकार हमें राहत दें। प्रदेश सरकार ने अभी तक 10,600 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा है। उसमें से 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कोरोना के चलते खरीद की गति धीमी हुई है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खरीद जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

पिछले वर्ष हुई थी रिकॉर्ड खरीदी

पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने एक करोड़ 29 लाख टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की थी। वर्तमान रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 में अब तक प्रदेश में सात लाख 32 हजार पंजीकृत किसानों से 10 हजार 600 करोड़ राशि के 53 लाख 69 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है।

लॉकडाउन में छोड़ देते

किसान नेता अरविंद पाटीदार ने बताया लॉकडाउन चल रहा है। मंडिया बंद हैं। सब्जियों के भाव नहीं मिलने से किसान पहले ही परेशान हैं। ऊपर से गेहूं बेचने के लिए केंद्रों पर जो किसान जा रहा है, उनका सोसायटियों का बकाया हाथों हाथ काट रहे हैं।

खाते में आएगा पैसा

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के एक पदाधिकारी ने बताया किसानों के भुगतान पत्रक में भले ही राशि का कटौत्रा दिखाया जा रहा है। लेकिन यह राशि तो किसानों के अकाउंट में ही आएगी। इसके बाद यदि किसान सोसायटियों को राशि जमा कराएगा तो उसे फिर से जीरो फीसदी की दर से ब्याज मिल जाएगा।

छानकर भेजे जा रहे गेहूं को भी किया जा रहा फेल

इधर, मप्र में इन दिनों समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हो रही है। खरीदी में कई तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। वहीं सोसायटियों द्वारा किसानों से खरीदे जा रहे जिस गेहूं को चलनों से छानकर वेयर हाउस भेजा जा रहा है। उस गेहूं के सेंपल को वेयर हाउस और नॉन के अधिकारी मनमानी पूर्वक फेल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सोसायटियों से भेजे जा रहे गेहूं के ट्रक खाली किए बगैर ही केंद्रों पर वापस लौट रहे हैं। इससे न सिर्फ सोसाटियों की परेशानी बढ़ने से गेहूं खरीदी कार्य में रुकावट हो रही है बल्कि, जो किसान अपना गेहूं बेच चुके हैं। उन्हें भी भुगतान के लिए महीनों तक चक्कर काटने पड़ेंगे। सोसायटियों के प्रबंधकों के द्वारा जानकारी दी गई है कि, पिछली बार गेहूं में मिट्टी की मात्रा ज्यादा निकलने के बाद रिजेक्ट हुए गेहूं के ट्रकों से खरीदी कार्य बंद रहने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने चलना लगाकर मिट्टी व कचरे को छानकर माल को गोदामों पर भेजने के निर्देश जारी किए गए थे। जिनके पालन में सभी सोसायटियों के प्रबंधकों ने केंद्रों पर चलना लगवाकर मिट्टी व कचरा मिले गेहूं को छनवाने के बाद ही खरीदा जा रहा है।

गेहूं लौटाने से ट्रकों का भाड़ा भी बढ़ा

सोसायटियों द्वारा उपार्जित की जा रही गेहूं की मात्रा को ट्रकों में भरवाकर वेयर हाउस तर पहुंचाए जाने के बाद जब उस माल को रिजेक्ट करके वापस केंद्रों पर पहुंचाया जाता है। तो न सिर्फ परेशानियां बढ़ती हैं बल्कि, शासन को ट्रकों का आने-जाने का दो से तीन गुना अतिरिक्त भाड़ा भी चुकाना पड़ रहा है, जिससे शासन को हजारों रुपये की आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है।

चमक कम और कचरा भी

नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों का कहना है कि चमक कम होने और कचरा आदि की समस्या आने पर गेहूं को वेयर हाउस में रखने से पूर्व वापस किया जा रहा है। शासन के बनाए नियमों के तहत जो गेहूं एफएक्यू के मापदंड में नहीं आ रहा है। उसे वापस किया जा रहा है क्योंकि बाद में जब यही गेहूं का वितरण होता है तब गेहूं की क्वालिटी को लेकर सवाल उठते हैं। इसलिए एफएक्यू के मापदंड में खरा नहीं उतरने पर गेहूं को वेयर हाउस में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए समितियों से कहा गया है कि पहले स्वयं ही चेक कर लें। जिससे अमानक गेहूं की खरीदी नहीं हो सके।

-आदिवासी समुदाय के लिए उत्सव से कम नहीं गर्मी का मौसम

महुआ 30 रुपए प्रति किलो खरीदेगी राज्य सरकार

संवाददाता, भोपाल

गर्मी का समय आते ही मप्र में पीला सोना के नाम से मशहूर महुआ के फूल टपकना शुरू हो गए हैं। जिनकी सुगंध से समूचा वनाचंल महक रहा है। महुआ एकत्रित करने के लिए आदिवासी समुदाय सहित ग्रामीण सुबह से ही जंगलों और खेतों में पहुंच रहे हैं। सूर्य निकलने एवं ताप बढ़ने के साथ-साथ पेड़ों से फूल गिरना भी कम होता जाता है। आदिवासी समाज के लिए महुआ फूल रोजी -रोटी का जरिया होता है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी महुआ का समर्थन मूल्य तय करते हुए 30 रुपए प्रति किलो किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी होने से आदिवासी समाज के लिए गर्मी का मौसम किसी उत्सव से कम नहीं होता। इस मौसम में आदिवासी कुनबा बड़ी संख्या में महुआ के फूल बीनने में लगा रहता है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि महुआ के गुणों को देखते हुए महुआ से औषधीय उत्पाद तैयार करने के साथ ही पौष्टिक खाद्य पदार्थ तैयार करने की योजना बनानी चाहिए। ऐसा करने से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

संक्रमण काल में राहत: कोरोना संक्रमण में मजदूरों की स्थिति खराब होने के बाद महुआ से आदिवासी परिवारों को थोड़ी राहत मिल रही है। बीते साल कोरोना

वायरस की रोकथाम के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के साथ ही सामाजिक दूरियां बनाए रखना भी नितांत आवश्यक हो गया था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन न के बराबर रह गया था। जिसके बाद ग्रामीणों ने संग्रहित महुआ का विनिमय कर अपने परिवार का भरण पोषण किया एवं अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रखा।

बीज से निकाला जाता रिफाइंड तेल: महुआ में आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं। महुआ फूल का इस्तेमाल कई तरह से होता है इसमें कई आयुर्वेदिक गुण होने से दवाओं में उपयोग किया जाता है। महुआ की छाल, फूल, बीज, पत्ते का उपयोग किया जाता है। महुआ का फूल काफी पौष्टिक होता है। इसके बीज से औषधीय रिफाइंड कर तेल निकाला जाता है।

केले की खेती में भी विंध्य अव्वल

उत्पादन में भुसावल के केले को मात दे रहा मऊगंज का देसी केला

- प्रगतिशील किसान अनिल कुमार बढ़ा रहे खेती का रकबा
- खेती में नवाचारों के लिए रीवा के सांसद कर चुके सम्मान
- बढ़ रही आयः एक थोप में निकल रहे 250 से 300 केले

संवाददाता, रीवा/मऊगंज

देशभर में महाराष्ट्र के भुसावल का केला मशहूर है। वहीं अगर मध्यप्रदेश में केले की बात करें तो बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और राजगढ़ केले की खेती के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब विंध्य में भी इसका उत्पादन तेजी से शुरू हो रहा है। दरअसल, रीवा जिले की जनपद पंचायत मऊगंज की ग्राम पंचायत मऊबगदरा के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्रा ने देसी केले की फसल लगाकर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। इससे किसान में खुशी की लहर है। उनका मानना है कि अगर जिले में केले की खेती लाभ का धंधा बनती है तो सभी किसान इसकी खेती करेंगे।

यहां सबसे बड़ी बात यह है कि किसान केले की फसल को सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर नहीं हैं। वो अपनी अन्य फसल के साथ ही केले की सिंचाई सोलर पंप से कर रहे हैं। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में केले का कुल रकबा लगभग 33000 हेक्टेयर है। उत्पादन 13,02,812 टन है, जबकि उत्पादकता 40-46 टन प्रति हेक्टेयर है। केले की फसल आर्द्र एवं गर्म वातावरण में अच्छा उत्पादन देती है। वहीं देश में बुरहानपुर एक प्रमुख केला उगाने वाला जिला है, क्योंकि जिले में 1,03,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 16,000 हेक्टेयर केले की खेती के लिए समर्पित है।

कहां से लाए पौधे

किसान अनिल कुमार मिश्रा ने '**जागत गांव हमार**' से चर्चा के दौरान बताया कि मैं देसी प्रजाति के केले को संरक्षण देना चाहता हूं, इसलिए गांव के ही कुछ किसानों के यहां से देसी केले के पौधे लाया और उनका करीब एक एकड़ में रोपण किया। इसमें कुछ केले बौनी किस्म के भी हैं। जिनका पेड़ तो छोटा होता है, लेकिन फल ज्यादा निकलते हैं।

एक पेड़ में 25 दर्जन केला

केले की खेती से भी किसान आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यह हम नहीं, बल्कि केले की उत्पादन क्षमता बता रही है। अनिल के खेत में लगे देसी प्रजाति के केले के एक पेड़ में 300 सौ केले निकल रहे हैं। यानि एक पेड़ में 25 दर्जन केला निकल रहा है। आज बाजार में एक दर्जन केला 50 से 70 रुपए दर्जन बिक रहा है।

केले के पौधे लगाने की विधि

केला उगाने के लिए किसानों को किसी प्रकार के बीज की जरुरत नहीं पड़ती। केला सीधे पौधों सहित ही लगाना पड़ता है। जो केले के पेड़ खराब हो चुके हैं उनकी जगह दूसरे पौधे दुबारा उगाए जा सकते हैं। साथ ही अगर किसान चुनिंदा और स्वस्थ पौधे निश्चित दूरी पर रखें तो उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है।

सांसद कर चुके सम्मान

खेती में नवाचारों के लिए विंध्य में चर्चित प्रगतिशील किसान अनिल कुमार का रीवा सांसद जर्नादन मिश्रा सम्मान भी कर चुके हैं। वहीं हाल ही में आत्मापरियोजना की टीम द्वारा उनके केले की फसल की वीडियोग्राफी की गई है।

बढ़ाऊंगा रकबा

प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि शुरुआत में कम से पौधे रोपे थे। लेकिन अब केले की खेती का रकबा और बढ़ाऊंगा। लगभग डेढ़ से दो एकड़ में देसी प्रजाति के केले के पौधों का रोपण करूंगा। इसके लिए उद्यानिकी विभाग के माध्यम से देसी प्रजाति के पौधे मगाऊंगा।

खाद एवं उर्वरक

300 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा प्रति वर्ष नाइट्रोजन को पांच, फास्फोरस को दो तथा पोटाश को तीन भागों में बांट कर देना चाहिए। पौध रोपण के दो माह बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम, पोटाश 100 ग्राम देना चाहिए। हालांकि अनिल अपने केले की फसल में देसी खाद का ही इस्तेमाल कर रहे हैं।

प्रदेश का पहला बीज-जैविक खाद का बना स्टोरेज

अहमदपुर नर्सरी में तैयार होंगे विलुप्त प्रजाति के पौधे

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश के वनों में लगे विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों को सहेजने की कवायद राजधानी भोपाल में शुरू की गई है। यहां वन विभाग की अहमदपुर नर्सरी में वन प्रजातियों के वृक्षों के बीजों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की गई है। नर्सरी में बीज स्टोरेज करने की यूनिट बनाई गई है। इसमें बीजों को नमी रहित वातावरण में वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे में किसी प्रजाति पर कोई संकट आता है, तो उस प्रजाति के स्टोर किए गए बीजों की सहायता से दोबारा तैयार किया जा सकता है। होशंगाबाद रोड स्थित अहमदपुर नर्सरी के पिछले हिस्से में बीज बैंक और जैविक खाद का स्टोरेज तैयार किया गया है। दोनों स्टोरेज वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ग्रीन इंडिया मिशन के तहत करीब 10 लाख रुपए में तैयार किए गए हैं।

20 प्रजातियों के बीज सुरक्षित

बीज स्टोरेज यूनिट में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अंदर नमी न रहे व बीज सुरक्षित रहें। यूनिट में अब तक 20 प्रजातियों के बीज रखे जा चुके हैं, जिन्हें मानसून के पहले प्रदेश की विभिन्न नर्सरियों और वन क्षेत्रों में भेजा जाएगा। दुर्लभ संकट से घिरी प्रजातियों के बीज भी एकत्र किए जा रहे हैं।

इनका कहना है

अहमदपुर नर्सरी में बीज और जैविक खाद स्टोरेज के लिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यूनिट बनाई गई है। यहां से पूरे प्रदेश में बीज भेजे जाएंगे। यहां प्रदेश के वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वृक्षों सहित संकटापन्न प्रजातियों के बीजों को सहेजने के कदम उठाए जा रहे हैं।

एचसी गुप्ता, सीसीएफ, अनुसंधान एवं विस्तार

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
रहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिंण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)